Phone : (Office) 0522-2287068
(Office) 0522-2287233
Fax : (Office) 0522-2286471
E-mail : upgwd.in@gmail.com
Website : http://upgwd.gov.in

<u>कोर्ट केस / एन0जी0टी0 / महत्वपूर्ण।</u>
<u>ई–मेल के माध्यम से</u>

कार्यालय निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश
भूजल भवन (रा0भू0सू0प्र0के0),
हरिहरपुर, शहीद पथ, लखनऊ।

संख्या– 1316 / भू०ज०वि० / एस–26(एन०जी०टी०) दिनांक / लखनऊ / दिसम्बर 05 2024

विषय– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में विचारधीन ओ0ए0 संख्या–691/2022 Rama Shanker Awasthi Vs State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

<u>नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, जनपद–पीलीभीत / शाहजहॉपुर / गोण्डा / बलरामपुर / लखीमपुर (खीरी)।</u>

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में विचाराधीन **ओ0ए0** संख्या–**691/2022 Rama Shanker Awasthi Vs State of Uttar Pradesh & Ors.** में पारित आदेश दिनांक 07.11.2024, जो इस कार्यालय में दिनांक 25.11.2024 को प्राप्त हुआ है (मय संलग्नको सहित छायाप्रति संलग्न), का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रदेश में स्थापित फर्म *M/s Bajaj Hindusthan Ltd. and Bajaj Energy Ltd.* के विभिन्न जनपदों यथा–पीलीभीत, शाहजहॉपुर, गोण्डा, बलरामपुर, लखीमपुर(खीरी) में चलित थर्मल पावर प्लांट के द्वारा पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने, सम्बन्धित विभागों से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही यूनिटों का संचालन किये जाने के साथ ही व्यवसायिक कार्य हेतु अवैध रुप से भूजल निष्कर्षण किया जा रहा है। जिसके संबंध में मा0 अधिकरण के सम्मुख विषयांकित वाद दिनांक 27.09.2022 को सूचीबद्ध हुई जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा, लगाये गये अरोपों का संज्ञान लेते हुए तथा शर्तो का अनुपालन कराये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति गठित की गयी एवं इस हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोडल नामित किया गया।

उक्त वाद मा0 अधिकरण के सम्मुख पुनः दिनांक 07.11.2024 को सूचिबद्ध हुई एवं सुनवाई उपरान्त मा0 अधिकरण द्वारा कार्यालय को नोटिस प्रेषित करते हुए अपेक्षा की गयी है कि अगामी सुनवाई दिनांक 24.02.2025 से पूर्व मा0 अधिकरण के आदेशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। दिनांक 07.11.2024 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

"..............2. When the order dated 21.12.2023 was passed the Respondents No. 1 and 3 were not represented. It has been pointed out that no notice to those respondents has been issued subsequently.

3. Let the notice be issued to the respondents not represented today The Applicant is directed to serve the said respondents and file an affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4. List on 24.02.2025."

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रख्यापित 'भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम–2019' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में "उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियामक प्राधिकरण" का गठन किया गया है। अधिनियम, 2019 के प्रभावी अनुश्रवण / क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" का गठन भी किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत कूपों के पंजीकरण, भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन / नवीनीकरण आदि के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों तथा भूजल व उससे सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। अधिनियम में निहित सेवाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी भी नामित किये गये है।

प्रस्तुत किये गये उक्त वाद में विपक्षी पार्टी संख्या–03 के रुप में भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 को रखा गया है एवं मा0 अधिकरण द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस, जिसके साथ मूल आवेदन का सार संलग्न है। नोटिस द्वारा अपेक्षा की गयी है कि मूल आवेदन में वादी द्वारा कतिपय जनपदों में स्थापित फर्मो / सस्थाओं पर लगाये गये आरोपों / तथ्यों की जॉच करते हुए सम्बन्धित वाद के सापेक्ष प्रस्तरवार विभागीय प्रतिउत्तर तैयार कर वाद की अगामी सुनवाई दिनांक 24.02.2025 से पूर्व प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाये।

अतएव उपरोक्त के क्रम में आपको विषयांकित वाद में विपक्षी पार्टी संख्या–3 / भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 की ओर से जनपदवार विभागीय प्रतिनिधि नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मा0 प्राधिकरण के आदेश दिनांक 07.11.2024 के साथ संलग्न मूल प्रत्यावेदन में की गयी शिकायत के क्रम में मूल आवेदन में वादी द्वारा लगाये गये आरोपों / तथ्यों की जॉच करते हुए सम्बन्धित वाद के सापेक्ष जनपदवार व प्रस्तरवार विभागीय मंतव्य / पैरावाईस नैरेटिव / शपथ पत्र तैयार करते हुए, मा0 अधिकरण के सम्मुख ससमय उपस्थित होते हुए प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का अनुपालन किया जा सके। ज्ञातव्य हों कि उक्त वाद में **<u>अगामी सुनवाई दिनांक 24.02.2025</u>** को नियत की गयी है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

8/12

(अनुपम)
अधिशासी अभियंता /
वै0सहा0(निदेशक)।

संख्या– 1316 /भू0ज0वि0/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
5. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद–पीलीभीत/शाहजहाँपुर/गोण्डा/बलरामपुर/लखीमपुर (खीरी)।

(अनुपम)
अधिशासी अभियंता/
वै0सहा0(निदेशक)।